

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास अनुभाग-1  
संख्या- 1423 / नौ-1-2016-55-टीए/2015  
लखनऊ: दिनांक 8 अगस्त, 2016

**अधिसूचना**

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-1889क मुअरिखा दिनांक 19 जुलाई, 1860 और समय-समय पर इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद, के सांक्रांतिक क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिये जिस अधिसूचना का जारी करने का प्रस्ताव करते हैं उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1 बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप से प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

**अधिसूचना का प्रारूप**

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या-1889क मुअरिखा दिनांक 19 जुलाई, 1860 और समय-समय पर इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचना का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग-नौ-क के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद के सांक्रांतिक क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं :-

**अनुसूची**

(नगर पंचायत शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद के सांक्रांतिक नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिये क्षेत्र )

क्र० सं०	ग्राम का नाम	दिशा	गाटों का विवरण
1	लाडमपुर दोयम	पूर्व	01 से 367 तक
2	पलिया	पूर्व	01 से 28 तक, 120 से 126 तक, 133 से 218 तक
3	अकबरपुर दामोदर	उत्तर	01 से 855 तक
4	ईमादपुर थमरई	पश्चिम	01 से 960 तक, 279/961.

			289/962, 343/963, 344/964, 443/965, 966, 944/967, 975/968, 355/969, 392/970, 362/972, 365/973, 513/974, 304/975 एवं 357/976
5	सिकन्दरपुर महमूद	दक्षिण पश्चिम-दक्षिण	01 से 168/1 तक
6	खानपुर	दक्षिण	01 से 608 तक, 595/609, 204/610, 415/ 611 एवं 234/612
7	अलेपुर पीत धौलेश्वर	पूर्व	247 से 378 तक

(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।

संख्या-1423 (1)/9-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक अगस्त, 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)  
सचिव।

संख्या-1423 (2)/9-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- (2) जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र० लखनऊ।
- (8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(विहारी लाल काने)  
अनु सचिव।

## UTTAR PRADESH SHASAN

### Nagar Vikas Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the English translation of notification no- 1423 /IX-1-2016-55-TA/2015, August 8, 2016 for general information.

#### NOTIFICATION

No- 1423 / IX -1-2016- 55-TA/2015

Lucknow- Dated August 8, 2016

The following draft notification which the Governor proposes to exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section(1) of section 3 of the Uttar Municipalities Act, 1916(U.P.Act no. II of 1916) and in partial, modification of notification no.1889Ka *Muarikha* dated July 19, 1860 and other notifications issued in this behalf from time to time for including specified in Schedule below in the transitional area of Nagar Shamsabad, District Farrukhabad is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions thereof as required under sub-section(1) of section 4 of the said Act.

2- Objections and suggestions, if any, with respect to the notification should be sent in writing addressed to the Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Babu Bhawan, Lucknow. All objections and suggestions shall be taken into consideration as a matter of course within 15 days from the date of publication of this notification in the

#### DRAFT NOTIFICATION


In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section(1) of section 3 of the Uttar

of notification no. 1889Ka *Muarikha* dated July 19, 1860 and other previous notification issued in this behalf from time to time, the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Shamsabad, District Farrukhabad for the purpose of Part-IX-A of the Constitution:-

**SCHEDULE**

(Area has been included in the transitional urban area of Nagar Panchayat Shamsabad, District Farrukhabad)

Sl.no.	Name of Village	Direction	Detail of Gattas
1	2	3	4
1	Ladampur Doyam	East	01 to 367
2	Paliya	East	01 to 28, 120 to 126, 133 to 218
3	Akabarpur Damoder	North	01 to 855
4	Imadpur Thamrai	West	01 to 960, 279/961, 289/962, 343/963, 344/964, 443/965, 966, 944/967, 975/968, 355/969, 392/970, 362/972, 365/973, 513/974, 304/975, 357/976
5	Sikandarpur Mahmood	South West-South	01 to 168/1
6	Khanpur	South	01 to 608, 595/609, 204/610, 415/611, 234/612
7	Alepur Pita Dhauleswar	East	247 to 378

  
(SHREEPRAKASH SINGH)  
Sachiv.